साइवर अपराध और समाज

डॉ. एस.एस. ठाकुर
समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
एवं
इम्तियाज खान
समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

सारांश

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। इसने हमारे बातचीत करने, मित्र बनाने, अद्यतन जानकारी को साझ करने, गेम्स खेलने, खरीददारी करने इत्यादि के तरीके को बदल दिया प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश पहलुओं पर प्रभाव पड़ा है।

हमारी नई पीढ़ी बहुत ही युवा अवस्थामें साइवर स्पेस से रूबरू हो रही है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, युवा, वयस्क अपने दिन-प्रतिदिन की क्रियाओं को ऑन लाइन ही करते हैं। युवाओं का अधिकांश समय सोशल नेटवर्कि, ऑन लाइन शॉपिंग, चेटिंग आदि में व्यतीत होता है। इस ऑन लाइन, साइबर स्पेस ने एक नये समाज को जन्म दिया है जिसे साइबर समाज (अभासी समाज) कहते है। यहाँ पर व्यक्ति भले ही प्रत्यक्ष उपस्थित न हो लेकिन वह अपनी सभक्रिया-प्रतिक्रिया को ऑनलाइन के माध्यम से करता है। इस आभासी समाज की सबसे बड़ी समस्या **साइबर अपराध** है जो इस आभासी समाज में विघटन, विचलन पैदा तो करता है साथ में वास्तविकसमाज में भी समस्याओं को उत्पन्न करता है।

मुख्य शब्द - साइबर सुरक्षा, साइवर अपराध, साइवर स्टाकिंग, आभासी, समाज, वास्तविक समाज

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्

अपराध एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पायी जाती है। प्रत्येक समाज में सदस्यों के हितों वे सुरक्षा को ध्यान में रखकर नियम बनाये जाते हैं। समाज द्वारा निर्मित इन नियमों का पालन करना सभी के लिये आवश्यक होता है। यदि और सरल शब्दों में समझ जाये तो अपराध कानून का उल्लंघन है। कोई भी कार्य को तब तक अपराध नहीं कहा जा सकता जब तक की वह किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से अपराध को निम्न प्रकार समझ जा सकता है-

सदरलैण्ड का विभिन्न सम्पर्क का सिध्दांत -

सदरलैण्ड ने इस सिध्दांत का प्रतिपादन 1939 में किया। उनके इस सिध्दांत की प्रमुख मान्यतायें निम्न प्रकार हैः-

अपराधी व्यवहार भी सामाजिक व्यवहारों की तरह सामाजिक अन्तःक्रिया की प्रक्रिया के दौरान सीखा जाता है। सदरलैण्ड का मानना है कि मुख्य रूप से छोटे और अन्तरंग समूहों में एक दूसरे के सम्पर्क में आने पर, अपराधी व्यवहार के सीखने की संभावना बढ़ जाती है।

दुर्खीम का अप्रतिमानता का सिध्दांत -

दुर्खीम ने अपराध को एनोमी के रूप में परिभाषित किया है। आपने कहा कि अपराध अप्रतिमानता की स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। अप्रतिमानता लक्ष्यों पर नियंत्रण दूर जाने के कारण उत्पन्न होता है। जिससे व्यक्ति की आकांखायें असीमित हो जाती है। ये असीमित आकांक्षायें विचलन अथवा सामाजिक नियमों में सामूहित विगत व्यवहार के लिये निरंतर दबावउत्पन्न करती है। दुर्खीम ने असीमित आकांक्षाओं की उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण दिये है।

1. आर्थिक संकट
2. उद्योगवाद

दुर्खीम ने अपराध को सामान्य माना है और साथ ही प्रकार्यकारी भी। अपराध के सामान्य पहलु से दुर्खीम का तात्पर्य है कि कोई भी समाज अपराध से मुक्त नहीं हो सकता। इसके साथ ही आपका मानना है कि अपराध समाज के लिये अपरिहार्य है। अपराध की दर यदि सीमित है तो यह समाज के लिये प्रकार्यात्मक होती है और यदि अपराध की दर तीव्र हुई तो यह समाज में विघटन, विचलन पैदा कर सकती है।

मर्टन का अप्रतिमानता सिध्दांत - मर्टन के अनुसा सांस्कृतिक संरचना उन सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत

साधनों का समर्थन करती है, जिन्हें प्रापत करने में मनुय लगा रहता है जबकि सामाजिक सरंचना उन विधियों या साधनों का संदर्भित करती है जो लक्ष्यों या हितों की उपलब्धि प्रयत्नों को नियमित करती है। समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था सभी व्यक्तियों को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देती है, जो व्यवहार के मान्य तरीके से प्राप्त किये जा सकते है। परनतु इन उ्देश्यों तक सामाजिक रूप से माय साधनों के माध्यम से पहुंचने के समान अवसर वितरित नहीं होत। विचलित व्यवहार या अपराध्ण तब प्रारंभ होता है। जब सामाजिक सेंरचना इन लक्ष्यों तक मान्य तरीकों द्वारा पहुंचने के सभी द्वार बन्द कर देती है।

क्लोवार्ड व ओहलिन का विभिन्न अवसर सिध्दांत -

इस सिध्दांत के अनुसार हर व्यक्ति की समाज के वैद्य व अवैद्य अवसर व्यवथा में एक स्थिति होती है। इस स्थिति के आधार पर वह अपनी अभिलाषा को प्राप्त करने की कोशिश करता है और अपने समाज को समाज में समायोजित करने का प्रयोग करता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों और अभिलाषाओं को वैद्य साधनों से प्राप्त नहीं कर पाता त्तब वह उनकी नीचे की ओर पुनरावृत्त करता जिस कारण तीव्र कुंटा व नैराष्य का अनुभव करता है यह नैराष्य ही व्यक्ति के विचलन व्यवहार के लिये उत्तरदायी है।

उपरोक्त सिध्दांतों के अतिक्ति और भी समाजशास्त्रीय सिध्दांत है जैसे **अल्वर्ट कोहेन का श्रमिक वर्ग के लड़के** तथा मध्यवर्गीय मानदण्ड सिध्दांत शॉऔर मैके का सांस्कृतिक पारगमन का सिध्दांत, जार्ज मीड का स्व और भूमिका का सिध्दांत, डेविड मत्जा का अपराध व वहाव सिध्दांत वाल्टर मिलर का निम्नवर्गीय लड़का, निम्नवर्गीय संस्कृति, होवार्ड वेकर का लेवलिंग सिध्दांत आदि जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपराध की व्याख्या करते है- अपराध के नये स्वरूप साइवर अपराध को यदि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाये तो यह अपराध भले ही आभासी हो लेकिन वास्तविक समाज में बड़े पैमाने पर विचलन, विघटन एवं निराशा को उत्पन्न करता है।

वैश्वीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति के आधुनिक युग में साइवर अपराध सम्पूर्ण विश्व के सामने एक चुनौती के रूप में विद्यमान है, सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, वैधानिक आदि प्रत्येक क्षेत्र में आज साइवर अपराध मौजूद है। कम्प्यूटर संबंधी इन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु हमें अपने आपको साइवर हमले, क्षति, दुरूपयोगी आर्थिक जासूसी से स्वयं को सुरक्षित रखना होगा। साइवर स्पेस सूचना परिवेश के भीतर एक वैश्विक डोमेन है, जिसमें परस्पर निर्भर सूचना प्रौद्योगिकी अवसरंचना जैसे इण्टरनेट, टेलीकाम, नेटवर्क, कम्प्यूटर सिस्टम इत्यादि को शामिल किया जाता है।

प्रस्तुत शोध पर साइवर अपराध और उससे सुरक्षा से संबंधित पक्षों पर विवचेन करने का प्रयास किया गया है।

साइवर स्पेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गिब्सन ने वर्ष 1984 में अपनी पुस्तक न्यू रोमासर में किया था। आपका मानना था कि साइवर स्पेस एक आभासी दुनिया है, जहां अनेक गतिविधियाँ की जाती है जिन्हें आप कुछ मात्रा में देख सकते है लेकिन आभासी समाज ने वास्तविक समाज को बहुत गहरी ढंग से प्रभावित किया है। इस आभासी समाज में अनेक संभावनायें है, वर्तमान युग में साइवर नेटवर्क मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है।

हम जितनी तेजी से डिजीटल दुनिया की ओर बढ़ रहे है, टीक उसी क्रम में साइवर अपराध में भी वृध्दि हो रही है, आज मनुष्य की निर्भरता इंटरनेट पर हीहै। एक ही जगह पर से मनुष्य की पहुंच विश्व के हर कोने तक संभव हुई है। आज के समय में मनुष्य ने इंटरनेट के माध्यम से सोशल नेटवर्किंग, आनलाइन शॉपिंग डेटा स्टोर करना, गेमिंग, आनलाइन स्टडी, आनलाइन जॉब इत्यादि इंटरनेट का प्रयोग लगभग हर क्षेत्र में संभव हुआ है।**सावर अपराध क्या -**

यह अपराध मुख्यतः इंटरनेट या मोबाईल टेक्नोलाजी का उपयोग करके व्यक्ति, कम्पनियों या संस्थानों के प्रति किये जाते हैं। साइबर अपराधी सोशल नेटवर्किंग साइटों, ईमेल, चैटरूम , नकली साफ्टवेयर, वेवसाइटों इत्यादि जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग पीड़ितों पर हमला करने के लिये करते हैं। साइबर अपराध आज अपने प्रसार लगातार कर रहा है। यदि भारत समाज के संदर्भ में बात की जाये तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट प्रयोग करता देश है। साइवर सुरक्षा उपलब्ध करने के बावजूद इसके साइवर अपराध करने वाले तक पहुंचना एक चुनौती बन गयी है, क्योंकि सभी प्रकार के नेटवर्कों की जड़े भारत में विद्यमान न होकर विदेशों में मौजूद हैं।

यदि साइवर अपराध के वर्गीकरण की बात की जाये तो साइवर विशेषज्ञों ने इसे दो वर्गों में बांटा है।

1. वे अपराध जिनमें कम्प्यूटर पर हमला किया जाता है। इस तरह के अपराधों के उदाहरण हैकिंग वायरस हमले आदि हैं।
2. वे अपराध जिनमें कम्प्यूटर को एक हथियार उपकरण के रूप में उपयोग किया है्।

साइवर अपराध के अंतर्गत तीन प्रमुख श्रेणियों की चर्चा की जाती है-

1. व्यक्ति विशेष के विरूध्द साइवर अपराध
2. सम्पत्ति विशेष के विरूध्द सावर अपराध
3. सरकार विशेष के विरूध्द साइवर अपराध।

पहले प्रकार के अपराध यद्यपि होते आनलाइन ही हैं लेकिन यह वास्तविक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ अपराधों में साइवर उत्पीड़न और साइबर स्टाकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदि इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के स्पूकिंग, क्रेडिट कार्डो धोखाधड़ी, मानव तस्करी, पहचान की चोरी और आनलाइन बदनाम किया जाता आदि है।

जबकि दूसरे प्रकार के साइवर अपराध में व्यक्ति की सम्पत्ति के खिलाफ होते हैं। जैसे कि किसी कम्प्यूटर हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, साइवर और टाइपों स्काटिंग, कॉपीराइट आदि शामिल है।

जबकि तीसरे प्रकार के अपराध किसी राज्य की सरकार के विरूध्द होते हैं- इस प्रकार के अपराध को साइवर आतकंवाद के रूप में भी जाना जाता है। सरकारी वैवसाइटों को हैक कियाज ाता है। यह अपराध किसी राष्ट्र की सुरक्षा व सम्प्रभुता पर हमला करते हैं। इस प्रकार अपराध में प्रायः शत्रु राष्ट्रों की सरकारें शामिल होती हैं। इस तरह के सावर अपराधों पर नियंत्रण के लिये प्रत्येक के लिये देश की सरकार द्वारा कटोर साइवर कानून बनाये जाते हैं।

उपरोक्त साइवर अपराध के वर्गीकरण के पश्चात साइवर क्राइम के अन्य रूप भी हैं- जैसे

1. हैकिंग (व्यक्तिगत डाटा की चोरी करना)
2. फिशिंग (किसी को फर्जी ईमेल भेजना)
3. वायरस (किसी कम्प्यूटर को हानि पहुंचाने के लिये बनाये गये विशेष साफ्टवेयर जैसे-वायरस, वार्म, टार्जन, हॉर्स लॉजिक हॉर्स आदि।)।
4. साफ्टवेयर पाइरेसी (नकली सॉफ्वेयर बनाना)
5. साइवर बुलिंग (किसी सोशल साट पर अशोभनीय कमेंट करना, धमकियां देना, मजाक उड़ाना, किसी को शर्दी करना इतयादि इसे साइवर उत्पीड़न भी कहते हैं।)
6. स्पूफिंग (असली पहचान को छिपाना)
7. स्पैबिंग (अनावश्यक एवं भारी संस्था मेल भेजना)
8. साइवर वायफेयर (अन्तराष्ट्रीय सीमा पर अपराध)
9. साइवर स्टाकिंग (मैसेज या ईमेल से परेशान करना)
10. पहचान या पासवर्ड चोरी करना।

11. डार्कनट मार्केट (नशीले पदार्थों का आदान प्रदान करना)
12. साइवर आतंकवाद (साइवर नेटवर्क के माध्यम से समाज में भय पैदा करना)
13. डॉस अटैक (बैंकिंग क्षेत्र में किये जाते हैं यह प्रक्रिया में रूकावट पैदा करते है)
14. रैनसमवेयर मालवेयर (यह कम्प्यूटर में प्रवेश कर समस्त फाइलों के नट करने की धमकगी देता था)

उपरोक्त साइवर क्राइम अपराध की रोकथाम के लिये सरकार ने अनेक कानून बनाये हैं जो निम्न प्रकार है

- भारत सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया है जिसके प्रावधानों के सथसाथभारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइवर अपराध से निपटने के लिये पर्याप्त है।

सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2000 की कुछ प्रमुख धारायें 43, 43ए, 66, 66 बी, 66सी, 66एफ, 67ए, 67बी, 70, 75, 72ए, 74ए, हैकिंग व साइवर अपराधों से संबंधित है।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइवर सुरक्षा नीति, 2013 के तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसरंचना केन्द्र का गटन किया है।

सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मान संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने सूचना सुरक्षा व शिक्षा और जागरूकता परियोजना प्रारभ की है।

सरकार ने कम्प्यूटर सुरक्षा के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की माडल एजेंसी तैयार है जिसे कम्प्यूटर इमरजेन्सी रिस्पांस टीम करते है।

अंतर एजेंसी समन्वय के लिये भारतीय साइवर अपराध संबंध केन्द्र की स्थापना की गयी है।

साइवर अपराध कोई देशी समस्या नहीं है। अतः इससे निपटने के लिये भी भी देशों ने संयुक्त होकर अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन है। यह अपनी तरह की पहली ऐसी अन्तराष्ट्रीय संधि जिसके अंर्तगत राष्ट्रीय कानूनें को सुव्यस्थित करके जांच पड़ताल की तकनीकों में सुधार करके तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु इंटरनेट और कम्प्कूटर अपराधों पर रोक लगाने संबंधी मांग की गई है।

कन्वेशन का अनुच्छेद ३२बी डेटा तक पहुँच की अनुमति देता है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता । इसलिये भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किये है।

उपरोक्त सरकारी प्रयासों के बावजूद भी साइवर अपराध एक प्रमुख समस्या के रूप में समाज में मौजूद है। साइवर अपराध ने समाज में एक नये विघटन को उत्पन्न किया है। इस प्रकार के अपराध से बचने के लिये हमें खुद जागरूक और सजग होने की आवश्यकता है। मजबूत पासवर्ड, कम्प्यूटर की जानकारी, डिजटल जागरूकता के माध्यम से अपने आपको सुरक्षित किया जा सकता है। यदि हम उपरोक्त उपायों को अपनातें तो हम सामाजिक विघ्टन की इस दर को कुछ हद तक कम करने में सहायक हो सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. Glazer, Daniel (1956.) *American Journal of Sociology*, march, P. 433-444
2. Merton. (1968) *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, New York.
3. Sheldon, William and Glueck. 1950. Unra ling Juvenile Delinquency, Cambridge, Harvard Univ. Press.
4. Lawania, M.M. and Jain, Shashikala, (1942).*Criminology*, Research Publication, Jaipur, 1999, P.60.
5. Healy, William and Bronner, A.F.(1936), *New Light on Delinquency and its Treatment* Yale University Press, New Haven.
6. Cloward Richard & Ohlin Lloyd(1960), *Delinquency and opportunity*, *A Theory of Delinquent Gangs*, The Free Press, GlencoeIllinois.
7. Shaw Clifford & Mckay Henry (1942) *Juvenil Delinquency and urbanAreas*, University of Chicago Press.
8. Backer, Howard S. (1966) *Social Problems: A Modern Approach*, John Wiley and sons Inc., New York.
9. साइवर सुरक्षा पर किशोरों/छात्रों के लिये पुस्तिका, *ग्रह मंत्रालय*, नार्थ ब्ला नई दिल्ली.
10. पुलिस विज्ञान अंक 142, (जनवरी-जून 2020) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली.
12. Cyber Crime and Role of Social Media.

******

मध्यप्रदेश की जनजातियाँ

डॉ. दिलीप कुमार सोनी
सहायक -प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सीधी (म.प्र.)

सारांश

मध्यप्रदेश की प्रमुख जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से गोंड एवं भील सबसे बड़ी जनजातियँ है। तीसरे क्रम की दावेदार अनेक जनजातियां है। इनमें से प्रमुख है बैगा, सहरिया, हल्बा, भरिया एवं कोल किन्तु जहाँ केवल गोंड़ भील जनजातियाँ कुल जनजातिय जनसंख्या की लगभग **65.5** प्रतिशत हैं। उपर्युक्त जनजातियाँ कुल जनजातीय जनसंख्या की मात्र **1** से **5** प्रतिशत तक हैं। साधारणतया इस प्रकार का विभ्रम जनजातीयों को विषम समूहों में बाँटने से ही होता है। मध्यप्रदेश की जनजातियों के प्रमुख **3** वर्ग हैं। पहले वर्ग में गोंड़ तथा गोड़ों की अभ्युत्पन्न जनजातियों को शामिल किया जाना चाहिये। दूसरा वर्ग भील तथा भीलों की निकटवर्ती जनजातियों का है जिसमें सहरिया जनजाति को भी शामिल करना उचित होगा तथा तीसरा वर्ग कोल या मुण्डा समूह की जनजातियों का है।

मुख्य शब्द- गोंड, भील, सहरिया, कोल, जनजातिय जनसंख्या

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्